

FROM No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

SDO

मुकाम

रौणी

रामचन्द्र

बनाम

रघुवीर

नं.

सन्.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

10/2/21
आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो
के लेग कलिमान शुक्र पंचांग
दिलोषी में पेश हुई। वारी/कमीठवाडी
उपास्थल / कमीठ वाडी रानी निगराभ
वाशिष्ठ के द्वारा प्रकरण का नोट
प्रेस किया गया। कतः प्रकरण नोट
प्रेस में फैसल शुमार होकर रिपोर्ट
से ऊठ किया जावे। बाद में
दफ्तर वाखिल हो।

हम वारी एवं
प्रतिवादीगण अह
वाद को आगे
नही चलाना चाहते
एक दोनो पक्ष सहमत
हैं और किसी प्रकार
की नोट कर कार्यवाही
नही चाहेंगे।

पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अधिवान 2021
कैम्य कोर्ट ग्राम पंचायत (रौणी)
उपखण्ड अधिकारी रौणी (अलवर)

अशाक सिंह
शोभन सिंह

तेज सिंह
Not Prach
Guzina
रघुवीर